भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2679

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता

2679. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी चर्चाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित एफटीए के भारत के कृषि क्षेत्र, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों और हितधारकों द्वारा राजसहायता प्राप्त कृषि आयातों के अंतर्वाह और स्थानीय बाजारों तथा किसानों की आय पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के दौरान राज्यों के कृषि हितों की रक्षा की जाए; और

(ङ) क्या सरकार किसी प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत संवेदनशील कृषि वस्तुओं को टैरिफ कटौती या बाजार पहुंच से बाहर रखने के लिए प्रतिबद्ध होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) भारत सरकार, व्यापार और निवेश का विस्तार करने तथा निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोज़गार सृजन सुनिश्चित करते हुए विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चर्चा में सक्रिय रूप से नियोजित है। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मार्च 2025 में वार्ता शुरू हुई थी। वार्ता के पाँच दौर हो चुके हैं, जिनमें से अंतिम दौर दिनांक 14-18 जुलाई,2025 को वाशिंगटन, अमेरिका में आयोजित किया गया था।

(घ) से (ङ) किसानों और घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी वार्ताएँ संवेदनशील, नकारात्मक या बहिष्कृत सूचियों-वस्तुओं की वे श्रेणियाँ जिन पर सीमित या कोई टैरिफ रियायतें नहीं दी जाती, को शामिल करने पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को नुकसान की स्थिति में, किसी देश को मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत पक्षों द्वारा परस्पर सहमत अवधि के भीतर एंटी-डंपिंग और आयात संरक्षोपाय जैसे व्यापार संबंधी सुधारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है।

*****